

न्यायालय:- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 946/2024

रमेशचंद पुत्र मांगीलाल, निवासी-पोलाव, तहसील/पुलिस थाना अकलेरा, जिला झालावाड़,
(राज.)

परिवादी...

बनाम

रामलाल पुत्र अमरलाल, निवासी-सांवरिया कॉलोनी एसबीबीजे बैंक के पीछे अकलेरा, तहसील
अकलेरा, जिला झालावाड़(राज.)

अभियुक्त...

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2. श्री योगेश कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-08-05-2026

1. परिवादी की ओर से जरिए अधिवक्ता यह परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त ने अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने हेतु ऋण राशि 10,00,000/- रूपए परिवादी से लिए और 10,00,000/- रूपए का एक चेक, चेक नंबर 499195 दिनांक 19-05-2023, बैंक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गढ़ पैलेस झालावाड़ का अपने हस्ताक्षर कर दिया। फरियादी ने उक्त चेक भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ बडोदा, शाखा अकलेरा में उसके खाते में कलेक्शन हेतु जमा कराया, जो बैंक द्वारा बिना भुगतान के रिफण्ड मैमो दिनांक 20-05-2023 से मुलजिम के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण 'Exceeds arrangements' के नोट के साथ उक्त चैक अनादत कर लौटा दिया। परिवादी ने उसके अधिवक्ता के जरिए दिनांक 07-06-2023 को मुलजिम को जरिए रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सूचना उसके पते पर भिजवायी। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस मुलजिम को दिनांक 14-06-2023 को प्राप्त हो गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी न तो मुलजिम ने उक्त नोटिस का कोई जवाब ही दिया और न ही चेक राशि उसको अदा की। मुलजिम को नोटिस में दी गई समय अवधि समाप्त हो गई। इस कारण परिवाद पेश करने का कारण पैदा हुआ। मुलजिम ने प्रारम्भ से ही बेईमानीपूर्वक आशय रखकर उसके बचत खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के उपरांत भी उक्त चेक जारी किया। अतः निवेदन है कि मुलजिम के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसके जुर्म की सख्त सजा भुगतायी जाए व फरियादी को चेक राशि 10,00,000/- व हर्जाना मुलजिम से दिलाया जावे।, इत्यादि।
3. परिवादी की ओर से अपने परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी का शपथ पत्र तथा दस्तावेजात असल चेक, चेक रिटर्न मैमो, अल्ट्रासाउंड द्वारा जांचा चैक, डाकघर रसीद, रजिस्टर्ड नोटिस, परिवाद, रिटर्न लिफाफा आदि प्रस्तुत किये गए हैं।
4. बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान

लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

5. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. परिवादी की ओर से साक्ष्य परिवादी में ए.डब्ल्यू. 01 रमेशचंद का मुख्य परीक्षा का शपथ-पत्र पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 असल चैक, प्रदर्श 2 रिटर्न मेमो, प्रदर्श 3 अल्ट्रासाउंड द्वारा जांचा चैक, प्रदर्श 4 डाकघर रसीद, प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श 6 परिवाद, प्रदर्श 7 रिटर्न लिफाफा पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

7. साक्ष्य परिवादी समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किए गए, तो अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

8. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण के अवधारण के लिये मुख्य रूप से अवधारित बिन्दु यह है कि:-

(1). आया अभियुक्त ने परिवादी से लिये गये उधार रूपयों की अदायगी हेतु यह जानते हुए कि उसके खाते में पर्याप्त निधि नहीं है, एक चेक संख्या 499195 तादादी 10,00,000/- रूपए दिनांक 19-05-2023 का परिवादी को दिया तथा उक्त चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण संबंधित बैंक के द्वारा अनादरित किया गया एवं परिवादी की ओर से अभियुक्त को चेक में वर्णित राशि की अदायगी हेतु नोटिस दिये जाने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा चेक राशि का भुगतान नहीं कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया?

(2). यदि हाँ तो अभियुक्त को क्या सजा तजवीज की जाए?

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त द्वारा परिवादी से उधार लिए गए रूपए चुकाने हेतु अपने हस्ताक्षर कर विवादित चेक प्रदान किया गया था, जो कि अनादरित हुआ है, जिसपर परिवादी द्वारा अभियुक्त को जरिए अधिवक्ता चेक राशि का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया, परन्तु नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा नोटिस की अवधि समाप्त होने पर भी चेक की राशि की अदायगी नहीं की गई। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर विधि अनुसार दण्डित किया जाए।

11. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 19.05.2023 को 10 लाख रूपए का कोई चैक जारी नहीं किया तथा परिवादी ने 10 लाख रूपए की मांग को लेकर धारा 420, 406 भा.दं.सं. का

मुकदमा पूर्व से दर्ज करवा रखा है जिसका मुकदमा नं. 256/2024 है जिसकी नकल उसने पेश की है। अभियुक्त ने रूपया उधार नहीं लिया, न ही अभियुक्त द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर कर परिवादी को कोई चेक दिया गया। अभियुक्त द्वारा कहीं से परिवादी का चेक प्राप्त कर स्वयं उसपर अभियुक्त के हस्ताक्षर कर अभियुक्त के उक्त चेक का दुरुपयोग किया गया है तथा अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

12. बहस के आलोक में पत्रावली का पुनः परिशीलन किया गया।

13. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित अपराध को साबित किए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक है:-

- (1). अभियुक्त द्वारा परिवादी को वैध ऋण या दायित्व के उन्मोचनार्थ विवादित चेक का दिया जाना।
- (2). चेक का धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनादरित होना।
- (3). अभियुक्त को समुचित पते पर विधिक नोटिस प्रेषित किया जाना व नोटिस में वर्णित अवधि में अभियुक्त द्वारा भुगतान में असफल रहना।
- (4). परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान अनुसार उल्लेखित समयावधि की पूर्ण पालना होना।

14. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में परिवादी ए.डब्ल्यू. 01 रमेशचंद ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि अभियुक्त ने उसकी निजी जरूरतों हेतु 10,00,000/- रूपए उधार लिए थे, जिसके भुगतान हेतु एक चेक, चेक नंबर 499195 दिनांक 19-05-2023 उसके पक्ष में जारी किया। उक्त चेक उसके द्वारा अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा चेक वापसी ज्ञापन में वर्णित कारण "Exceeds arrangements" के नोट के साथ बिना भुगतान अनादरित कर लौटा दिया। उसके द्वारा अभियुक्त को अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 07-06-2023 को दिलाया गया, जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी अभियुक्त ने परिवादी को चेक राशि का भुगतान नहीं किया।

15. साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 असल चैक, प्रदर्श 2 रिटर्न मेमो, प्रदर्श 3 अल्ट्रासाउंड द्वारा जांचा चैक, प्रदर्श 4 डाकघर रसीद, प्रदर्श 5 रजिस्टर्ड नोटिस, प्रदर्श 6 परिवाद, प्रदर्श 7 रिटर्न लिफाफा प्रदर्शित करवाए गए।

16. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि उसने 10 लाख रूपए 15.04.2023 को दिए थे जो उसने कंवरलाल वकील साहब की टेबल के यहां दिए थे। उसने उसका मकान बेचा था जिसके रूपए उसके पास रखे हुए थे। उसने उसका मकान कंवरलाल जी निरोगधाम वालों को बेचा था। जो रूपए उसने रामलाल को दिए वे सभी 500-500 के नोट थे। चैक में 19.05.2023 की तारीख लिखी हुई थी। रामलाल से इसके पहले उसने कोई लेनदेन नहीं किया था। जो रूपए उसने रामलाल को उधार दे रखे हैं वे उसने इनकम टैक्स में दिखा रखे हैं। वह काश्तकारी करता है जिससे 10 लाख रूपए सालाना कमाई कर लेता है। उसने रामलाल के खिलाफ धारा 420 भा.दं.सं. की रिपोर्ट करा रखी है। उक्त केस अभी भी न्यायालय में चल रहा है।

17. परिवादी की साक्ष्य के आधार पर विधि के सुसंगत प्रावधानों का पुनः अवलोकन किया गया। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों के अनुसार यह उपधारणा की जायेगी कि प्रत्येक चेक प्रतिफल के लिए जारी किया गया हैए जब तक इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। इसके साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 139 में यह प्रावधान भी है कि जब तक विपरीत रूप से साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित प्रकृति का चेक किसी ऋण या वैध दायित्व के अंशतः या पूर्ण भुगतान के रूप में ही प्राप्त किया हैए परन्तु उक्त दोनों धारा खण्डनीय प्रकृति की है जिनके खण्डन का भार अभियुक्त पर अधिरोपित किया गया है।

18. परिवादी द्वारा अपने सशपथ कथनों के समर्थन में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा विधिक दायित्व से उन्मोचनार्थ विवादित चैक प्रदर्श 1 फरियादी को अपने हस्ताक्षर कर दिया गया था। परिवादी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न या सुझाव नहीं आया हैए जिससे अभियुक्त द्वारा विवादित चेक फरियादी को दिए जाने के तथ्य का खण्डन होता हो। अभियुक्त द्वारा परिवादी साक्ष्य के स्पष्टीकरण में स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाना प्रकट किया गया है, परन्तु विवादित चेक प्रदर्श 1 परिवादी को किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस बाबत अभियुक्त की ओर से न तो परिवादी की प्रतिपरीक्षा में कोई सुझाव दिया गया है, न ही अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य को प्रस्तुत कर न्यायालय के समक्ष कोई विवाद्यक उठाया है, जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा लिए गए रूपयों की अदायगी हेतु स्वयं विवादित चेक प्रदर्श 1 जारी कर परिवादी को सुपुर्द किया गया था।

19. परिवादी की साक्ष्य के खण्डन स्वरूप अभियुक्त की ओर से किसी भी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि परिवादी द्वारा पूर्वोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त द्वारा विवादित चेक प्रदर्श 1 को ऋण व दायित्व पेटे दिए जाने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है।

20. अतः पूर्वोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त धारा 139 व धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के उपबंधों का खण्डन करने में असमर्थ रहा है और अखण्डित रही विधिक उपधारणाओं व प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा उधार क्रय की गई राशि की अदायगी हेतु विवादित चैक प्रदर्श 1 फरियादी को दिया गया था।

21. अब प्रश्न यह है कि क्या परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक विधिक नोटिस अभियुक्त को समुचित पते पर दिया गया और बाद सूचना अभियुक्त द्वारा विहित समयावधि में चेक में वर्णित राशि की अदायगी परिवादी को नहीं की गई तथा परिवादी द्वारा विधिक परिसीमा के अधीन न्यायालय में परिवाद.पत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

22. इस संबंध में साक्ष्य की विवेचना करें तो परिवादी ने चेक अनादरण की सूचना बाबत विधिक नोटिस प्रदर्श 5 अभियुक्त को दिनांक 07-06-2023 को दिए जाने का कथन किया है और उक्त नोटिस प्रदर्शित करवाया है। नोटिस की डाकघर की रसीद प्रदर्श 4 भी पत्रावली पर अवस्थित है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई बचाव नहीं लिया गया है, कि उसे परिवादी

द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो, जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श 5 अभियुक्त को प्राप्त हो गया था और अभियुक्त द्वारा चेक राशि अदायगी नहीं करने के कारण परिवादी द्वारा विहित समयावधि के पश्चात् दिनांक 21-07-2023 को न्यायालय के समक्ष परिवाद.पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था।

23. इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण व विवचेनानुसार तथा अखण्डित रहे विधिक उपबंधों व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

24. अतः अभियुक्त रामलाल पुत्र अमरलाल, निवासी-सांवरिया कॉलोनी एसबीबीजे बैंक के पीछे अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(आशीष मीना)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

25. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

26. अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित कर चेक राशि की दुगुनी राशि दिलाए जाने का निवेदन किया, जबकि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधाना का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

27. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

28. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1988 के माध्यम से संशोधन किया जाकर चेक अनादरण के कृत्य को अपराध बनाया गया है। अधिनियम की धारा 138 से 142 के रूप में अध्याय 17 जोड़ा गया है। संशोधन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य व कारणों की व्याख्या करते हुए यह अंकित किया गया है कि चेक स्वीकार्यता व विश्वसनीयता बढ़ाने व चेक अनादरण के अपराध के लिए दण्ड के प्रावधान करने के प्रयोजन से उक्त उप बिन्दु विधि में जोड़े गए हैं। इसके बाद पुनः परक्राम्य लिखत अधिनियम 2002 के माध्यम से चेक अनादरण के अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है, इतना सब होते हुए भी वर्तमान में सम्पूर्ण देश में चेक अनादरण के प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, यहां तक कि सरकार को उक्त अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना भी करनी पड़ी है तथा बावजूद संशोधन भी अधिनियम का प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया है। चेक अनादरण के अपराध ने समाज व देश की अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डदेश

29. अतः अभियुक्त रामलाल पुत्र अमरलाल, निवासी-सांवरिया कॉलोनी एसबीबीजे बैंक के पीछे अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किये जाने पर अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास तथा 11,00,000/- रूपए (ग्यारह लाख रूपए मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेंगा। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड राशि जमा करवाने पर उसमें से 10,00,000/- रूपए (अक्षरे दस लाख रूपए) बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा की जाए। अभियुक्त का सजा वारन्ट बनाया जाए।

30. चूंकि प्रकरण में परिवादी को अभियुक्त से प्रतिकर की राशि दिलाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, इसलिए धारा 357(1) दं.प्र.सं. की पालना में परिवादी को प्रतिकर की कोई अन्य राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

31. अभियुक्त द्वारा न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि, उसकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। अभियुक्त द्वारा जुर्माने की राशि 11,00,000/- रूपए (अक्षरे ग्यारह लाख रूपए मात्र) जमा कराये जाने पर उसमें से 10,00,000/- रूपए (अक्षरे दस लाख रूपए) बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार परिवादी को प्रतिकर स्वरूप अदा की जाए, इस हेतु परिवादी को तहरीर जारी की जाए। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

32. निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

(आशीष मीना)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

33. निर्णय आज दिनांक 08-05-2026 को खुले न्यायालय में मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)

आशुलिपिक ग्रेड III

नोट: यह प्रतिलिपि प्रार्थी-अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

BHURA LAL MEENA